कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज।

पत्रांकः– 610 पालीगंज/दिनांकः– 31.5.21

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पालीगंज।

सेवा में,

Mukund Kumar,
At.... Soma, Naubatpur
..Patna..................

विषयः–MMGSY(WB) योजनान्तर्गत Fatehpur PMGSY to Gulalchak पथ का अनुरक्षण कार्य नहीं करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित पथ का निर्माण कार्य आपके द्वारा एकरारनामा संख्या 09/MBD/MMGSY(WB)/2016-17 के अधीन पूर्ण किया गया है। एकरारनामा के अनुसार पूर्णता की तिथि से पाँच वर्षों तक अनुरक्षण कार्य आपको करना है तथा पथ को Defect Free हालत मे रखना है। परन्तु आपके द्वारा एकरारनामा के अनुसार पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नियमित/पूर्ण रूप से नहीं कराया जा रहा है, जो काफी खेदजनक है। अनुरक्षण के अभाव मे सरकारी सम्पत्ति का हास हो रहा है तथा आवागमन मे कठिनाई हो रही है। जिसके लिए आप पूर्णतः जिम्मेवार है।

आपको निदेशित किया जाता है कि पत्र निर्गत (प्राप्ति) की तिथि से सात दिनों के अन्दर एकरारनामा के अनुसार संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के पर्यवेक्षण मे अनुरक्षण कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा आठवे दिन से पँद्रहवे दिन के बीच पथ की अंतिम मापी ले ली जायेगी। मापी की तिथि की सूचना एक दिन पूर्व आपको दी जायेगी। मापी के समय आपकी अथवा आपके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी। ससमय उपस्थित नहीं रहने पर आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा। तदोपरान्त एकरारनामा के Clause of Contract के MBD Clause में निहित सुसंगत कंडिकाओं के आलोक में एकरारनाम को बिखंडित करते हुए अग्रधन एव जमानत की राशि जप्त कर लिया जायेगा। साथ ही निबंधन को काली सूची में डालने हेतु अनुशंसा कर दिया जायेगा। अनुरक्षण कार्य विभाग द्वारा अन्य माध्यम से करा लिया जायेगा तथा राशि की बसूली आपके जमानत एवं अन्य जप्त राशियों से किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 31.5.21
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज